न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/51/2021	08–10–2021	08–06–2022

01. श्रीमती बीना पत्नी स्व0 रामानन्द जाति धानक निवासी ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, (राजस्थान)
02. मोहन लाल पुत्र शिवलाल जाति धानक निवासी ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, (राजस्थान)

—अपीलाण्ट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, (राजस्थान)

—रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 05.01.2021 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 416/2020

उपस्थितः—

श्री संजय कुमार —वकील अपीलाण्ट्स

निर्णय

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 05.01.2021 जिसके द्वारा अपीलान्टस को ग्राम हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 1.10 है0 में से 0.09 है0, आराजी खसरा न0 222 रकबा 0.77 है0 में से 0.77 है0 व आराजी खसरा न0 224 रकबा 1.06 है0 में से 1.00/0.06 किस्म बारानी द्वितीय में सरसो व चना की फसल काश्त किये जाने पर अतिकमी मानते हुये वर्णित आराजी को कब्जे राज लिया जाने तथा मौके पर खडी फसल को कुर्क किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये है, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट्स उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 208 रकबा 0.10, 222 रकबा 0.77, 224 रकवा 1.06 है0 किता–3 रकबा 1.93 है0 जिसके साबिक आराजी खसरा न0 83 रकबा 3 बिधा 14 बिस्वा, 85 रकबा 4 बिधा 4 बिस्वा से बने है, ग्राम हटुण्डी तहसील मुण्डावर में विधमान है। उक्त आराजीयात की बाबत मिन अपीलान्ट संख्या 1 बीना के पति व मिन अपीलान्ट संख्या 2 के भाई रामानन्द पुत्र शिवलाल जाति हरिजन निवासी ग्राम झिझारपुर तहसील मुण्डावर को न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर द्वारा दावा जेर दफा 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी प्रकरण संख्या 144 दायरा दिनाक 18.11.1996 वअनुवानी रामानन्द बनाम भीमसिंह वगै0 समस्त साक्ष्य, सबुत, पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त मौंका देते हुये निस्तारण कर निर्णय दिनाक 12.04.2001 को पारित करते हुये खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इस प्रकार रामानन्द पुत्र शिवलाल उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार हुए और मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

रहकर कार्य काश्त कर रहे है। रामनन्द पुत्र शिवलाल अपने दादा व पिता के जीवनकाल से ही उक्त आराजीयात कर काबिज रहे है। उक्त आराजीयात से मिन अपीलान्ट संख्या 2 का कोई लेना देना सम्बन्ध सरोकार हिस्सा बांटा नही है। रामानन्द पुत्र शिवलाल का देहान्त दिनाक 28.08.2016 को हो चुका है। जिसकी अपीलान्ट संख्या 1 विधवा औरत है और मिन अपीलान्ट संख्या 1 अपने पति रामानन्द पुत्र शिवलाल के जीवनकाल से व उनके मरने के बाद से ताहाल मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज रह कर काश्त करती चली आ रही है और मौंके पर फसल सरसो, चना काश्त की हुई है। इस प्रकार हम अपीलान्ट्स उक्त आराजीयात के अतिक्मी नही है। पटवारी हल्का द्वारा झूठे मनगढन्त मिथ्या तथ्यों के आधार पर खिलाफ मौका, वस्तुस्थिति की विपरीत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष पेश की गयी है, जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा दिनाक 05.01.2021 के द्वारा निर्णय पारित किया गया है। तथा आलोच्य निर्णय की आड में उक्त आराजीयात् को कब्जेराज लिया गया व खड़ी फसल को कुर्क किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर का निर्णय दिनाक 05.01.2021 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स का मुख्य तर्क यह है कि अपील दिनांक 22.01.2021 में कोई अतिक्रमण नहीं किया है, वर्णित आराजीयात् पर न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर द्वारा दावा जेर दफा 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी प्रकरण संख्या 144 दायरा दिनाक 18.11.1996 बअनुवानी रामानन्द बनाम भीमसिंह वगै0 में पारित निर्णय दिनाक 12.04.2001 का उल्लेख अंकित करते हुये पर मौंके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर कार्य काश्त करना अंकित किया है। न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर के निर्णय दिनांक 12.04.2001 की पालना के क्रम में अपीलान्ट द्वारा डिक्री की कार्यवाही का कोई आवेदन पेश नहीं किया है। अपील में वर्णित आराजीयात की राजस्व रिकॉर्ड में किस्म बारानी–2 (सरकारी भूमि) दर्ज रिकार्ड है। खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलान्ट्स का अतिक्रमण साबित होता है। वर्णित आराजीयात् की किस्म बारानी–2 (सरकारी भूमि) है। अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.01.2021 यथावत रखा जाता है, साथ ही न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनाक 01.02.2021 निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.06.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

प्रमाणित फोटो प्रति